दैनिक भास्कर
बिलासपुर 08-07-2025

अदालतें भूल रहीं 'जमानत नियम है' : सीजेआई

एजेंसी | तिरुवनंतपुरम

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि अदालतें आजकल कानून के कुछ जरूरी नियमों को भूल रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि अदालतों ने हाल के दिनों में 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' जैसे कानूनी सिद्धांत का पालन नहीं किया है। सीजेआई केरल हाई कोर्ट में 11वें जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर मेमोरियल लॉ लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया और के. कविता के मामलों का उदाहरण भी दिया, जिन्हें लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पिछले साल जमानत मिली थी। उन्होंने कहा, 'जस्टिस कृष्ण अय्यर का भी दृढ़ विश्वास था कि विचाराधीन कैदियों को बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें भारतीय न्यायपालिका में नई राह खोलने के लिए जाना जाता है।